



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248823  
CG-DL-E-19092023-248823

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 643]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन)

विनियम, 2023

आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.104.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 206, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) में,

(1) विनियम 5 के खंड (ख) में, "नामांकन के पश्चात् से" शब्दों के पश्चात् "विनियम 6 के अधीन अप्रतिदेय आवेदन फीस के संदाय की तारीख से बारह मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(2) विनियम 6 में, -

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से, जिसका वह सदस्य है, बोर्ड को बीस हजार रूपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क के भाग-II में आवेदन कर सकेगा।”

(ii) उप-विनियम (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के माध्यम से, जिसकी वह सदस्य है, बोर्ड को, इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप कक के भाग-II में, दो लाख रूपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस सहित, आवेदन कर सकेगी।”

(iii) उप-विनियम (2) में “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “दिवाला व्यावसायिक एजेंसी” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, यथास्थिति, उप-विनियम (1) या उप-विनियम (1क) के अधीन फीस का संदाय करने की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन को सत्यापित और उसे बोर्ड को अग्रेषित करेगी, जिसमें से दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा व्यावसायिक सदस्य को यथास्थिति, अतिरिक्त दस्तावेज़, जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय छोड़ दिया जाएगा।”

(3) विनियम 7 से उप-विनियम (1) में, “साठ दिन” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(4) विनियम 8 के उप-विनियम (2) में, “45 दिन” अंकों और शब्द के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(5) विनियम 10 में,

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ङ) सदस्यता के अभ्यर्पण के लिए आवेदन स्वीकार करती है और अपने रजिस्ट्रों में व्यावसायिक सदस्य का नाम काटती है;

(च) व्यावसायिक सदस्य को निष्कासित करती है; या

(छ) किसी व्यक्ति की मृत्यु या कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी या रजिस्ट्रीकृत फर्म के समापन या विघटन की सूचना प्राप्त करती है और अपने रजिस्ट्रों में से, व्यावसायिक सदस्य का नाम काटती है।”

(ख) उप-विनियम (2) में, “नोट करेगा” शब्दों के पश्चात्, “और वह उसके खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट मामलों के लिए, यदि ऐसा करना समीचीन समझा जाए तो विनियम 10ख के अनुसार कार्यवाही करेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(6) विनियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

#### “10क. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक, बोर्ड को, मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सहित लिखित में अनुरोध करके अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है तो वह उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकेगा और स्वीकार कर लेने पर ऐसे दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण की तारीख से संबंधित व्यक्ति ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, अपने आप को प्रमाणपत्र के धारक के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा।

### 10ख. अभ्यर्पण, निष्कासन आदि पर कार्रवाई के लिए विशेष प्रक्रिया

(1) बोर्ड, इस विनियम के अधीन मामले का निपटारा करते समय, विनियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा आवद्ध नहीं होगा।

(2) बोर्ड, विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) और खंड (च) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, यदि अपेक्षित हो, ऐसे व्यावसायिक सदस्य से यह मांग करते हुए नोटिस जारी कर सकेगा कि वह स्पष्ट करे कि विनियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) व्यावसायिक सदस्य, नोटिस की तामील की तारीख से इक्कीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर लिखित निवेदन कर सकेगा।

(4) बोर्ड, उप-विनियम (3) के अधीन किए गए निवेदन से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या चालू असाइनमेंट को पूरा करने के निदेश जारी करने, लंबित अनुपालनों, जिसके अंतर्गत फीस का संदाय भी है, आदि का विनिश्चय कर सकेगा।

(5) बोर्ड, उप-विनियम (4) के अधीन अपना विनिश्चय, उप-विनियम (3) के अधीन लिखित निवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संसूचित करेगा।

(6) विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे दिवाला व्यावसायिक का बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण, यथास्थिति, हस्तांतरण या समापन या विघटन की तारीख से रद्द हो गया समझा जाएगा।

(7) इस विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण की तारीख से, दिवाला व्यावसायिक के विधिक वारिस या समनुदेशिती, ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज़ या आस्तियों के परिदान के लिए, जो कि उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, उस समय अवधि के भीतर और उस रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए, उचित कदम उठाएंगे।”

3. मूल विनियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### “प्ररूप क

#### एकीकृत नामांकन और रजिस्ट्रीकरण आवेदन पत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (आदर्श विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के विनियम 10 के अधीन]

#### भाग-I

#### [आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए]

सेवा में,  
प्रबंध निदेशक,  
(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम)

कृपया हाल ही  
का पासपोर्ट  
आकार का फोटो  
चिपकाएं

विषय: व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन और दिवाला व्यावसायिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,  
मैं,

(क) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (आदर्श विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के विनियम 10 के अधीन (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) में व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन; और

(ख) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

मेरा ब्यौरा निम्नलिखित रूप में है:-

**क. वैयक्तिक ब्यौरा**

1. उपाधि(श्री/श्रीमती/सुश्री/कोई अन्य):
2. नाम (पैन/आधार के अनुसार) :
3. पिता का नाम:
4. माता का नाम:
5. जन्म की तारीख:
6. जन्म-स्थान:
7. पैन:
8. आधार सं. (यदि उपलब्ध है) :
9. पासपोर्ट संख्यांक(यदि उपलब्ध है) :
10. जी.एस.टी.आई.एन. (यदि उपलब्ध है) :
11. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन.(यदि उपलब्ध है) :
12. पत्र-व्यवहार के लिए पता (नोट: इसे रजिस्ट्रीकृत पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
13. स्थायी पता:
14. ईमेल पता: (नोट: इसे रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
15. मोबाइल नं. : (नोट: इसे रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नं. के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
16. आवासीय प्रास्थिति : भारत में निवासी व्यक्ति/भारत से बाहर निवासी व्यक्ति(जो लागू न हो उसे काट दें) [दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(24) या धारा 3(25) के निबंधनानुसार] :

**ख. अर्हताएं: शैक्षिक, व्यावसायिक और दिवाला परीक्षा अर्हताएं**

**(i) शैक्षिक अर्हताएं**

[कृपया बैचलर डिग्री से आगे शैक्षिक अर्हताओं का ब्यौरा दें]

क्रम सं.	शैक्षिक अर्हता	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक (%)	श्रेणी/वर्ग	टिप्पणी, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



**घ. अतिरिक्त जानकारी**

1. क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

2. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित हैं? (हां./नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

3. क्या आपको कभी दिवालिया/शोधन अक्षम न्यायनिर्णीत किया गया है? (हां./नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

4. क्या आपके विरुद्ध आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.ए.आई.(लागत), विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. की कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हैं या पिछले तीन वर्षों में किसी समय उनके द्वारा आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है? (हां./नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

5. क्या आपने कभी किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन के लिए आवेदन किया है?(हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें

आवेदन की तारीख	
आई.पी.ए. का नाम	
आवेदन की स्थिति	
अस्वीकार करने का कारण, यदि लागू हो	
अस्वीकार करने की तारीख,यदि लागू हो	

6. कृपया कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी दें, जो इस बात का अवधारण करने के लिए सुसंगत है कि क्या आप उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं ।

**ङ. संलग्नक**

1. आवासीय सबूत की प्रति ।

2. पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट की प्रति ।

3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ।

4. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन. आबंटन पत्र की प्रति ।

5. शैक्षिक अर्हता, व्यावसायिक अर्हता और दिवाला परीक्षा के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां ।

6. निम्नलिखित रूप में व्यवसाय प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां –

- (i) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट;
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी सचिव;
- (iii) भारतीय लागत अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक लागत अकाउंटेंट; या
- (iv) विधिज्ञ परिषद् में नामांकित एक अधिवक्ता ।

7. नियोजक(नियोजकों) से नियोजन प्रमाणपत्र की प्रतियां, जिनमें ऐसे नियोजन की अवधि विनिर्दिष्ट हो ।

8. पिछले तीन वर्षों की वित्तीय विवरणियां/आय-कर विवरणियां ।

9. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की व्यावसायिक सदस्यता के प्रमाणपत्र की प्रति ।

10. लागू फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य ।

11. दोषसिद्धि, आपराधिक कार्यवाहियों, दिवाला/शोधन अक्षमता आदेश, अनुशासनिक कार्यवाहियों/कार्रवाइयों की बाबत जानकारी और आवेदन के लिए सुसंगत कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी, जो लागू हो (जिसके अंतर्गत संक्षिप्त तथ्य, सुसंगत आदेशों की प्रति और उसकी वर्तमान स्थिति भी है) के ब्यौरे ।

#### च. समझ

मैं यह समझता हूं और इससे सहमत हूं कि (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) के पास नामांकन और बाद में रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करना, मुझे रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार नहीं बनाता, जो कि मेरे द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अधीन है ।

#### छ. पुष्टीकरण

1. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 205 के साथ पठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( आदर्श विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के अधीन व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित किए जाने का पात्र हूं ।

2. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

3. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए दिशानिर्देशों और परिपत्रों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की, जिसमें मैं नामांकित हूं, उपविधियों और बोर्ड तथा ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड द्वारा पारित संकल्पों और दिए गए निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जब भी मांगी जाए, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं ।

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

#### भाग - II

व्यावसायिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए

[दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ]

क. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन

(1) व्यावसायिक सदस्यता सं./नामांकन सं.

(2) नामांकन की तारीख

ख. रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम

क्या आपने रजिस्ट्रीकरण-पूर्व पाठ्यक्रम पूरा किया है?(हां/नहीं)

यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करने की तारीख: दिन/मास/वर्ष

**ग. फीस का संदाय**

क्या आपने रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करने की तारीख से पूर्व बारह मास के भीतर बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन फीस का संदाय कर दिया है?(हां/नहीं)

यदि हां, तो बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन फीस का संदाय करने की तारीख:दिन/मास/वर्ष

**घ. जानकारी का अद्यतन**

क्या आप दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन की ईप्सा करने के लिए आवेदन करने के समय प्ररूप क में प्रस्तुत की गई जानकारी को अद्यतन करना चाहते हैं?(हां/नहीं)

**च. पुष्टीकरण**

1. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के साथ पठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र हूं।

2. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

3. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए दिशानिर्देशों और परिपत्रों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की, जिसमें मैं नामांकित हूं, उपविधियों और बोर्ड तथा ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जब भी मांगी जाए, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

**च. संलग्नक**

1. किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति।
2. रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाणपत्र की प्रति।
3. लागू फीस जमा/संदाय करने का साक्ष्य।
4. प्ररूप क में अद्यतन की गई जानकारी मद्धे सबूत की प्रति, जहां कहीं भी लागू हो।

**भाग-III**

**दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाए**

**[दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ]**

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक(आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

**विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

**महोदय/महोदया**

(आवेदक का नाम) से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन 2016 के विनियम 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन सदस्यता (व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक) प्राप्त करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, एतद्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

हमने निम्न प्रकार सत्यापित किया है:



क्रम सं.	सत्यापन	निष्कर्ष
1	क्या आवेदक ने अपने आवेदन में आई.पी. विनियमों के विनियम 4 और विनियम 5 के अधीन समस्त अपेक्षित ब्यौरे(यथा-लागू) प्रस्तुत किए हैं और आई.पी. विनियमों के विनियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए संदाय पूरा किया है?	(हां/नहीं) यदि नहीं, तो कृपया ब्यौरे दें।
2	क्या व्यावसायिक सदस्य ने बोर्ड को आवेदन फीस का संदाय करने के बारह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया है और इस संबंध में संपूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है?	(हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया ब्यौरे और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें: (प्रमाणपत्र की तारीख)
3	क्या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ने आवेदक को, दिवाला व्यावसायिक बनने के लिए पात्रता संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने के पश्चात् व्यावसायिक सदस्यता प्रदान की है?	(हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया ब्यौरे और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें। (नामांकन सं.) (नामांकन की तारीख)
4	क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी. एम.ए.आई. विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. की, जिसका आवेदक सदस्य है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या पिछले तीन वर्षों में किसी समय उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
5	क्या किसी विनियामक, आई.सी.ए.आई., आई.सी.एम.ए.आई., आई.सी.एस.आई. या विधिज्ञ परिषद् ने व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ की है और वह निपटारे के लिए लंबित है ?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
6	क्या व्यावसायिक सदस्य का पिछले नियोजक के पास सेवा अभिलेख, यदि वह नियोजन में था, बेदाग रहा था?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
7	यदि व्यावसायिक सदस्य द्वारा डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन. दिया गया है तो क्या व्यावसायिक सदस्य द्वारा धारित पदनाम की प्रकृति सहित उसकी स्थिति का सत्यापन किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
8	क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के डाटाबेस में निम्नलिखित के संबंध में प्रकट होता है: (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अधीन निरर्हित निदेशक; या (ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन उद्घोषित अपराधी?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
9	क्या व्यावसायिक सदस्य को सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में दंडित किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
10	क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम भारतीय रिजर्व बैंक/उधार की जानकारी देने वाली कंपनी के व्यतिक्रमियों की सूची में प्रकट होता है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।
11	क्या व्यावसायिक सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें।

हमने (आवेदक का नाम) द्वारा, जो (सदस्यता सं.) वाला हमारा व्यावसायिक सदस्य है, प्रस्तुत किए गए उपरोक्त ब्यौरों को सत्यापित किया है और यह पुष्टि करते हैं कि वे सत्य और सही हैं। हम (आवेदक का नाम) के आई.बी.बी.आई. में दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश करते हैं।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत अधिकारी

(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मोहर)

स्थान:

तारीख:

4. मूल विनियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप कक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“प्ररूप कक**

**एकीकृत नामांकन और रजिस्ट्रीकरण आवेदन पत्र**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (आदर्श विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 के विनियम 10 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6(1क) और के अधीन]

**भाग-I**

**[आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए]**

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम)

**विषय: व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन और दिवाला व्यावसायिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।**

महोदय/महोदया,

1. मैं, जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूँ, .....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से, जो कि बोर्ड द्वारा मान्यता संख्यांक..... के साथ दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यताप्राप्त है, जिसका रजिस्ट्रीकृत पता..... (आवेदक संस्था का रजिस्ट्रीकृत पता) है, आवेदन करता हूँ ।

मैं एतद्वारा -

(i) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आदर्श विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन 2016 के विनियम 10 के अधीन (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) के पास व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन; और

(ii) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6(1क) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ ।

मैं एतद्वारा इस संबंध में सबूत(बोर्ड/भागीदार के संकल्प की प्रमाणित प्रति) संलग्न करता हूँ कि मैं यह आवेदन करने के लिए और बोर्ड के साथ इस बाबत पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

**अतिरिक्त जानकारी**

1. क्या आवेदक संस्था किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयुक्त है? (हां/नहीं)

यदि हां तो कृपया ऐसी कंपनी या निगमित निकाय का पूरा ब्यौरा दें ।

2. क्या आवेदक संस्था के विरुद्ध कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया चल रही है या चलाई गई थी?(हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

3. क्या आवेदक संस्था अननुमोचित दिवालिया है?(हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

4. क्या आवेदक संस्था आई. पी. विनियमों के विनियम 4(छ) के निबंधनानुसार उपयुक्त और उचित व्यक्ति है?(हां/नहीं)

यदि हां तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें।

5. क्या आवेदक संस्था के यथास्थिति, सभी भागीदार या निदेशक, आई.पी. विनियमों के विनियम 4(छ) के निबंधनानुसार उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं?(हां/नहीं)

यदि नहीं, तो ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें जो सुसंगत हो सकती है।

6. कृपया ऐसी अतिरिक्त जानकारी दें जो सुसंगत हो सकती है।

### प्रतिज्ञान

1. मैं,..... (आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि आवेदक संस्था ने आई.पी. विनियमों के विनियम 12 और 13 का हर समय अनुपालन किया है।

2. मैं,.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि आवेदक संस्था, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित किए जाने का पात्र है।

3. मैं,.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि –

(i) इस आवेदन में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है,

(ii) इस आवेदन के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है, और

(iii) इस आवेदन के अनुसरण में अनुदत्त नामांकन तब संक्षिप्त रूप से रद्द किया जा सकेगा यदि इसमें प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी भी प्रक्रम पर तात्विक दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है।

4. मैं, यह पुष्टि करता हूं कि लागू फीस का संदाय एजेंसी को.....(कृपया संदाय किए जाने की तारीख सहित संदाय का ब्यौरा प्रविष्ट करें) कर दिया गया है और उसके संबंध में सबूत संलग्न करता हूं।

5. यदि सदस्यता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है तो मैं.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से संहिता उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या परिपत्रों या दिशानिर्देशों और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का, जो एजेंसी द्वारा सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय या उसके पश्चात् अधिरोपित किए जाएं, अनुपालन करने का वचन देता हूं।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

(दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....)

स्थान:

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.....)

तारीख:

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक.....)

### संलग्नक

1. बोर्ड/भागीदारों के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को यह आवेदन करने और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के साथ इस बाबत पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. बोर्ड द्वारा जारी मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति।

3. आवेदन फीस जमा/संदाय करने का साक्ष्य

## भाग - II

## व्यावसायिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए

## [दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ]

## जानकारी का अद्यतन किया जाना

1. क्या आप आई.पी.ए. के पास नामांकन की ईप्सा करने के लिए आवेदन करते समय प्ररूप कक में प्रस्तुत की गई जानकारी को अद्यतन करना चाहते हैं?(हां/नहीं)

## पुष्टिकरण

1. मैं (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि दिवाला व्यावसायिक संस्था ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (आई.पी. विनियम) के विनियम 12 और विनियम 13 का हर समय अनुपालन किया है।

2. मैं (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि दिवाला व्यावसायिक संस्था बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने की पात्र है।

3. मैं (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि –

(i) इस आवेदन में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है,

(ii) इस आवेदन के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है, और

(iii) इस आवेदन के अनुसरण में प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण तब संक्षिप्त रूप से रद्द किया जा सकेगा यदि इसमें प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी भी प्रक्रम पर तात्विक दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है।

(iv) दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता रद्द की जा सकेगी यदि इसमें प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी भी प्रक्रम पर तात्विक दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है।

4. मैं, यह पुष्टि करता हूं कि लागू फीस का संदाय बोर्ड को.....(कृपया संदाय किए जाने की तारीख सहित संदाय का ब्यौरा प्रविष्ट करें) कर दिया गया है और उसके संबंध में सबूत संलग्न करता हूं।

5. यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है तो मैं.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से संहिता उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या परिपत्रों या दिशानिर्देशों और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का, जो बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय या उसके पश्चात् अधिरोपित किए जाएं, अनुपालन करने का वचन देता हूं।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

(दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....)

स्थान:

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.....)

तारीख:

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक.....)

## संलग्नक

1. बोर्ड/भागीदारों के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को यह आवेदन करने और बोर्ड के साथ इस बाबत पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जारी किए गए सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।
3. लागू फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य ।
4. प्ररूप कक में अद्यतन की गई जानकारी मद्धे सबूत की प्रति, जहां कही भी लागू हो ।

### भाग-III

#### दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाए

#### [दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ]

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक(आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महोदय/महोदया

(व्यावसायिक सदस्य का नाम) से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन 2016 के विनियम 6(1क) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन सदस्यता (व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक) प्राप्त करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, एतद्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है ।

2. हमने व्यावसायिक सदस्य (संस्था का नाम) द्वारा, जो (व्यावसायिक सदस्यता सं.) वाला हमारा व्यावसायिक सदस्य है, प्रस्तुत किए गए ब्यौरों का सत्यापन कर लिया है । हम यह पुष्टि करते हैं कि –

(i) संस्था के, बोर्ड को आवेदन अग्रेषित करने की तारीख को यथा-विद्यमान, \_\_\_\_\_ यथास्थिति, भागीदार या निदेशक हैं ।

(ii) संस्था, भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 और विनियम 13 के अधीन अधिकथित पात्रता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करती है ।

3. हम (व्यावसायिक सदस्य का नाम) के बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश करते हैं ।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत अधिकारी

(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मोहर)

स्थान:

तारीख:

”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./425/2023-24]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 507, तारीख 20 जुलाई, 2023 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24 /जी.एन./आर.ई.जी.103, तारीख 20 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा किए गए ।

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September 2023

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2023**

**No. IBBI/2023-24/GN/REG104.**—In exercise of the powers conferred by sections 196, 206, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’),

(1) in regulation 5, in clause (b), after the words “pre-registration educational course”, the words “within twelve months from the date of payment of non-refundable application fee under regulation 6”, shall be inserted.

(2) in regulation 6,

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) An individual enrolled with an insolvency professional agency as a professional member may make an application to the Board through the insolvency professional agency of which he is a member, in Part – II of Form A of the Second Schedule to these Regulations, along with a non-refundable application fee of twenty thousand rupees to the Board.”

(ii) for sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1A) An insolvency professional entity eligible for registration as an insolvency professional under sub-regulation (2) of regulation 4 may make an application to the Board through the insolvency professional agency of which it is a member, in Part – II of Form AA of Second Schedule to these Regulations, along with a non-refundable application fee of two lakh rupees to the Board.”

(iii) in sub-regulation (2), for the word “Board,” the words “insolvency professional agency” shall be substituted.

(iv) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(2A) The insolvency professional agency shall verify and forward the application to the Board within thirty days from the date of payment of fee under sub-regulations (1) or (1A), as the case may be, excluding the time given by the insolvency professional agency to the professional member for submitting additional documents, information, or clarification, as the case may be.”

(3) in regulation 7, in sub-regulation (1) for the words “sixty days” the words “thirty days” shall be substituted.

(4) in regulation 8, in sub-regulation (2) for the words “forty five days” the words “thirty days” shall be substituted.

(5) in regulation 10,

(a) in sub-regulation (1),

i. in clause (c), the word “or” shall be omitted.

ii. after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(e) accepts the application for surrender of membership and strikes the name of the professional member from its registers;

(f) expels the professional member; or

(g) receives intimation of demise of an individual or winding up or dissolution of a company, limited liability partnership or registered partnership firm and strikes the name of the professional member from its registers.”

- (b) in sub-regulation (2), after the words, bracket and figure “sub-regulation (1)”, the words “and for cases referred to in clauses (e), (f) and (g) thereof, it may, if deems expedient to do so, proceed in accordance with regulation 10B”, shall be inserted.
- (6) After regulation 10, the following regulations shall be inserted, namely: -

**“10A. Surrender of certificate of registration.**

- (1) An insolvency professional may surrender its certificate of registration by making a request to the Board, in writing along with the certificate of registration in original.
- (2) If the Board is satisfied, it may accept the request for surrender of certificate of registration within thirty days of its receipt and upon acceptance, the registration of such insolvency professional shall stand cancelled.
- (3) On and from the date of cancellation of certificate of registration, the concerned person shall not represent itself to be a holder of the certificate for carrying out the activity for which such certificate had been granted.

**10B. Special procedure for action on surrender, expulsion, etc.**

- (1) While disposing of the matter under this regulation, the Board shall not be bound by the procedure specified in regulation 11.
- (2) On receipt of information under clause (e) and (f) of sub-regulation (1) of regulation 10, the Board may issue a notice, if required, to such professional member, calling upon it to explain as to why the certificate of registration, granted under the regulations, should not be cancelled.
- (3) The professional member may make written submission(s), if any, within a period not exceeding twenty-one days from the date of service of notice.
- (4) On being satisfied with the submission(s) made under sub-regulation (3), the Board may decide to cancel the registration or issue directions to complete the ongoing assignments, make pending compliances including payment of fee, etc.
- (5) The Board shall communicate its decision under sub-regulation (4) within thirty days from date of receipt of written submissions under sub-regulation (3).
- (6) On receipt of information under clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 10, the registration of such insolvency professional with the Board shall be deemed to have been cancelled from the date of demise or winding up or dissolution, as the case may be.
- (7) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, under this regulation, the legal heirs or assignee of the insolvency professional shall take steps for delivery of any record(s) or document(s) or assets that may be in its custody or control, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Board.”

3. In the principal regulations, in Second Schedule, for Form A, the following form shall be substituted, namely: -

**“FORM A**

**UNIFIED ENROLMENT AND REGISTRATION APPLICATION FORM**

*[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 and Regulation 10 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016]*

**Part - I**

**TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT**

To  
The Managing Director,  
<name of the insolvency professional agency>

<Please affix a  
recent passport  
size photo>

**Subject: Application for enrolment as professional member and registration as an insolvency professional**

**Sir / Madam,**

I hereby apply for -

- (a) enrolment as a professional member with the <name of the insolvency professional agency> under regulation 10 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016; and

- (b) registration as an insolvency professional under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

My details are as under:

**A. PERSONAL DETAILS**

1. Title (Mr. / Mrs. / Ms. / Other):
2. Name (as per PAN / Aadhaar):
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth:
6. Place of Birth:
7. PAN:
8. AADHAAR No. (if available):
9. Passport No. (if available):
10. GSTIN (if available):
11. DIN / DPIN (if available):
12. Address for Correspondence (*Note: This shall be recorded as the registered address*):
13. Permanent Address:
14. E-mail Address (*Note: This shall be recorded as the registered e-mail address*):
15. Mobile No. (*Note: This shall be recorded as the registered mobile number*):
16. Residential Status: *Person resident in India/ Person resident outside India (strike off whichever is not applicable)* [in terms of section 3 (24) or 3 (25) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016]

**B. EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND INSOLVENCY EXAMINATION QUALIFICATIONS**

**(i) Educational Qualifications**

[Please provide educational qualifications from Bachelor's degree onwards]

Sl. No.	Educational qualification	University /College	Year of Passing	Marks Secured (%)	Grade/ Class	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**(ii) Professional Qualifications**

[in terms of regulation 5(c)(iv) of IP Regulations]

Sl. No.	Professional Qualification	Institute/ Professional Body	Membership No. / Enrolment No. (as the case may be)	Date of registration/ enrolment	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



**(iii) Insolvency Examinations**

Sl. No.	Name of the examination /programme	Whether qualified or not? (Yes / No)	Name of the Institute/ Organisation	Marks (%) /Grade/Class (If applicable)	Date of passing	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Limited Insolvency Examination		IBBI			
2	Post Graduate Insolvency Programme					
3	National Insolvency Programme					

**(iv) Are you a registered valuer? (Yes/No) If yes,**

(a) IBBI Registration No. \_\_\_\_\_

(b) Name of Registered Valuer Organisation (RVO) \_\_\_\_\_ and,

(c) RVO Enrolment No. \_\_\_\_\_

**C. WORK EXPERIENCE**(i) Are you presently in practice / employment? (*Practice / Employment*)

(ii) Total period in practice (years and completed months): yy / mm

(iii) Total period in employment (years and completed months): yy / mm

(iv) Details of experience (from the date of enrolment as an Advocate / Chartered Accountant/ Company Secretary / Cost Accountant / After Bachelors' Degree / After Master' Degree / After Post Graduate Diploma)

Sl. No.	From Date (dd-mm-yyyy)	To Date (dd-mm-yyyy)	Employment		Practice		Area of Work
			Name and Address of Employer	Designation	Advocate/ CA/CS/CMA	Name of Firm and Firm Registration Number, if applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**D. ADDITIONAL INFORMATION**

1. Have you ever been convicted for an offence? (Yes / No)

If yes, please give complete along with current status.

2. Is any criminal proceedings pending against you? (Yes / No)

If yes, please give complete details along with current status.

3. Have you ever been adjudged as an insolvent/bankrupt, or applied to be declared so? (Yes / No) If yes, please give complete details along with current status.

4. Is there any disciplinary proceeding pending against you or has been taken against you at any time in the preceding three years by the ICAI, ICSI, ICAI (Cost), Bar Council or RVO?

(Yes /No)

If yes, please give complete details along with current status.

5. Have you ever applied for Enrolment with any Insolvency Professional Agency? (Yes / No)

If yes, please give details.

Date of application	
Name of the IPA	
Status of application	
Reason of Rejection, if applicable	
Date of Rejection, if applicable	

6. Please provide any additional information that may be relevant for determining fit and proper person eligibility.

#### **E. ATTACHMENTS**

1. Copy of proof of residence
2. Copy of PAN card, Aadhaar card and Passport
3. Copy of GST Registration Certificate
4. Copy of DIN/ DPIN allotment letter
5. Copies of documents in support of educational qualification, professional qualification, and insolvency examination.
6. Copies of documents demonstrating practice as –
  - (i) a chartered accountant registered with the Institute of Chartered Accountants of India;
  - (ii) a company secretary registered with the Institute of Company Secretaries of India;
  - (iii) a cost accountant registered with the Institute of Cost Accountants of India; or
  - (iv) an advocate enrolled with the Bar Council.
7. Copies of certificate of employment from the employer(s), specifying the period of such employment
8. Financial statements / Income-tax Returns for the last three years.
9. Copy of certificate of professional membership of Registered Valuer Organisation.
10. Evidence of deposit / payment of applicable fee.
11. Details of information with respect to conviction, criminal proceedings, insolvency/bankruptcy order, disciplinary proceedings/actions, and any other additional information relevant for the application, as may be applicable (including brief facts, copy of relevant orders and present status thereof) as separate enclosures.

#### **F. UNDERSTANDING**

I understand and agree that my enrolment with the <name of insolvency professional agency> and completion of pre-registration educational course, subsequently, does not entitle me to the registration, which is subject to me complying with requirements applicable under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

#### **G. AFFIRMATIONS**

I affirm that I am eligible to be enrolled as a professional member under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 read with sections 205 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

2. I affirm that the information furnished by me in this application is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

3. I undertake to comply with the requirements of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, rules, regulations, guidelines and circulars issued thereunder, the bye-laws of the insolvency professional agency with which I am enrolled, the resolutions passed, and directions given by the Board and the Governing Board of such insolvency professional agency and to furnish any additional information as and when called for by the Board or Insolvency Professional Agency.

**Name and signature of the applicant**

**Place:**

**Date:**

**Part - II**

**TO BE SUBMITTED BY THE PROFESSIONAL MEMBER**  
*[For the purposes of registration as an Insolvency Professional]*

**A. ENROLMENT WITH INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY**

(1) Professional Membership No./ Enrolment No.:

(2) Date of Enrolment:

**B. PRE-REGISTRATION EDUCATIONAL COURSE**

Have you completed the Pre-Registration Educational Course? (Yes/No)

If Yes, date of completion of Pre-Registration Educational Course: dd/mm/yyyy

**C. FEE PAYMENT**

Have you paid the non-refundable application fee to the Board within twelve months before the date of completion of the Pre-Registration Educational Course? (Yes/No)

If Yes, date of payment of non-refundable application fee to the Board: dd/mm/yyyy

**D. INFORMATION UPDATE**

Do you wish to update the information submitted in Form A at the time of application seeking enrolment with the Insolvency Professional Agency? (Yes/No)

**E. AFFIRMATIONS**

I affirm that I am eligible to be registered as an insolvency professional under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 read with section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

2. I affirm that the information furnished by me in this application is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

3. I undertake to comply with the requirements of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, rules, regulations, guidelines and circulars issued thereunder, the bye-laws of the insolvency professional agency with which I am enrolled and directions given by the Board and the Governing Board of such insolvency professional agency and to furnish any additional information as and when called for by the Board or Insolvency Professional Agency.

**F. ATTACHMENTS**

1. Copy of certificate of membership with an insolvency professional agency.
2. Copy of certificate of completion of pre-registration educational course.
3. Evidence of deposit / payment of applicable fee.
4. Copy of proof towards information updated in the Form A, wherever applicable.

**Name and signature of applicant**

**Place:**

**Date:**

**Part - III**

**TO BE SUBMITTED BY THE INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY**  
*[For the purposes of registration as an Insolvency Professional]*

To,

The Executive Director (IP Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

**Subject: Application for registration as an insolvency professional****Sir / Madam,**

The application for registration received from [Name of the applicant] after obtaining the membership [Professional Membership Number], under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 [IP Regulations] is hereby submitted to the Board.

We have verified as under:

SI. No.	Verification	Finding
1	Whether the applicant has submitted all the required details under Regulations 4 and 5 of IP regulations (as applicable) in its application and completed the payment for registration as per requirement specified under Regulation 6 of IP Regulations?	(Yes/ No) If No, please provide the details.
2	Whether the professional member has completed the pre-registration educational course within twelve months of making payment of application fee to the Board and obtained the completion certificate in this regard?	(Yes/No) If Yes, give details and supporting document: (Date of certificate)
3	Whether the insolvency professional agency has granted the professional membership to the applicant after complying with eligibility requirement to become an insolvency professional?	(Yes/No) If Yes, give details and supporting document: (Enrolment No) (Date of Enrolment)
4	Whether any disciplinary proceedings are pending, or any disciplinary action has been taken at any time in the preceding three years against the professional member by the ICAI, ICSI, ICMAI, Bar Council or RVO of which applicant is a member.	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
5	Whether a regulator ICAI, ICMAI, ICSI, or Bar Council has initiated any criminal proceeding against the professional member and is pending for disposal?	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
6	Whether the professional member had an unblemished service records with the last employer if he was in employment?	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
7	In case, DIN / DPIN has been furnished by the professional member, whether the status thereof has been verified along with nature of designation held by the professional member?	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
8	Whether the name of the professional member appears in the database of Ministry of Corporate Affairs regarding: i. Directors disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013, or ii. Proclaimed Offenders under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973.	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
9	Whether the professional member has been penalised by SEBI or CCI in the last three years?	Yes / No. If Yes, give details and supporting document.
10	Whether the name of professional member appears in the list of defaulters of RBI / Credit Information Company?	Yes / No.

		If Yes, give details and supporting document.
11	Whether the professional member has been convicted of any offence?	Yes / No.  If Yes, give details and supporting document.

We have verified the above details submitted by <name of the applicant> who is our professional member with <professional membership no.> and confirm these to be true and correct. We recommend registration of <name of the applicant> as an insolvency professional with IBBI.

(Name and Signature)

Authorised Officer of the Insolvency Professional Agency

(Seal of the Insolvency Professional Agency)

Place:

Date:

”

4. In principal regulations, in Second Schedule, for Form AA, the following form shall be substituted, namely: -

**“FORM AA**

**UNIFIED ENROLMENT AND REGISTRATION APPLICATION FORM**

[Under regulation 10 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 and Regulation 6 (1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

**Part – I**

**TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT**

To

The Managing Director,

<Name of the Insolvency Professional Agency>

**Subject: Application for enrolment as professional member and registration as insolvency professional**

**Sir/Madam,**

I, being duly authorized for the purpose, hereby apply on behalf of [name of the applicant entity], recognised by the Board as an insolvency professional entity with recognition number [recognition number], having registered address at [registered address of the applicant entity]

I hereby apply for –

- (i) enrolment as a professional member with the <name of the insolvency professional agency> under regulation 10 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016; and
- (ii) registration as an insolvency professional under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 (1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

I hereby enclose proof (certified copy of Board/ Partner’s Resolution) that I am authorized to make this application and correspond with the Board in this respect.

**ADDITIONAL INFORMATION**

1. Whether the applicant entity is a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate? (Yes/ No)

If yes, please give complete details of such company or body corporate.

2. Whether the applicant entity is undergoing or has undergone an insolvency resolution process? (Yes/ No)

If yes, please give complete details along with current status.

3. Whether the applicant entity is an undischarged bankrupt? (Yes/ No)

If yes, please give complete details along with current status.

4. Whether the applicant entity is a fit and proper person in terms of regulation 4(g) of IP Regulations? (Yes/ No)

If No, please give complete details along with current status.

5. Whether all the partners or directors, as the case may be, of the applicant entity are fit and proper person in terms of regulation 4(g) of IP Regulations? (Yes/ No)

If No, please give complete details along with current status.

6. Please provide any additional information that may be relevant.

#### **AFFIRMATIONS**

1. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], affirm that the applicant entity has at all times complied with regulations 12 and 13 of the IP Regulations.

2. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], affirm that the applicant entity is eligible to be enrolled as a professional member with the insolvency professional agency.

3. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], hereby affirm that –

- (i) all information contained in this application is true and correct in all material respects,
- (ii) no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
- (iii) enrolment granted in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.

4. I, hereby confirm that the applicable fee has been paid to the agency vide [*please enter the payment details along with date of making the payment*] and enclose proof thereof.

5. If granted certificate of membership, I, on behalf of [*name of the applicant entity*], undertake to comply with the requirements of the Code, the rules, regulations or circulars or guidelines issued thereunder, and such other terms and conditions as may be imposed by the Agency while granting the certificate of membership or subsequently.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

(Name)

(Designation)

(Insolvency Professional Registration Number-----)

(Name of the Insolvency Professional Entity-----)

(Recognition Number of the Insolvency Professional Entity----)

Place:

Date:

#### **ATTACHMENTS**

1. Certified copy of Board / Partners' Resolution authorising the person to make this application and correspond with the Insolvency Professional Agency in this respect.

2. Copy of Certificate of Recognition issued by the Board.

3. Evidence of deposit / payment of applicable fee.

#### **Part - II**

#### **TO BE SUBMITTED BY THE PROFESSIONAL MEMBER**

*[For the purposes of registration as an Insolvency Professional]*

#### **INFORMATION UPDATE**

1. Do you wish to update the information submitted in Form AA at the time of application seeking enrolment with the IPA? (Yes/No)

**AFFIRMATIONS**

1. I, on behalf of [*name of the insolvency professional entity*], affirm that the insolvency professional entity has at all times complied with regulations 12 and 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.
2. I, on behalf of [*name of the insolvency professional entity*], affirm that the insolvency professional entity is eligible to be registered as an insolvency professional with the Board.
3. I, on behalf of [*name of the insolvency professional entity*], hereby affirm that –
  - (i) all information contained in this application is true and correct in all material respects,
  - (ii) no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
  - (iii) registration granted in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.
  - (iv) the insolvency professional entity may be derecognised if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.
4. I, hereby confirm that the applicable fee has been paid to the Board vide [*please enter the payment details along with date of making the payment*] and enclose proof thereof.
5. If granted certificate of registration, I, on behalf of [*name of the insolvency professional entity*], undertake to comply with the requirements of the Code, the rules, regulations or circulars or guidelines issued thereunder, and such other terms and conditions as may be imposed by the Board while granting the certificate of registration or subsequently.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

(Name)

(Designation)

(Insolvency Professional Registration Number-----)

(Name of the Insolvency Professional Entity-----)

(Recognition Number of the Insolvency Professional Entity----)

Place:

Date:

**ATTACHMENTS**

1. Certified copy of Board / Partners' Resolution authorising the person to make this application and correspond with the Board in this respect.
2. Copy of Certificate of Membership issued by the Insolvency Professional Agency.
3. Evidence of deposit / payment of applicable fee.
4. Copy of proof towards information updated in the Form AA, wherever applicable.

**Part - III****TO BE SUBMITTED BY THE INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY**

*[For the purposes of registration as an Insolvency Professional]*

To,

The Executive Director (IP Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

**Subject: Application for registration as an insolvency professional****Sir / Madam,**

The application for registration received from [*Name of the professional member*] after obtaining the membership [*Professional Membership Number*], under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 (1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 is hereby submitted to the Board.

2. We have verified the details furnished by the professional member <*name of the entity*>, who is our professional member with <*professional membership no.*>. We hereby confirm that: -

- (i) the entity has \_\_\_\_\_ number of partners or directors, as the case may be, as on the date of forwarding application to the Board.
- (ii) the entity complies with the eligibility requirements laid down under regulation 12 and 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

3. We recommend registration of <*name of the professional member*> as an insolvency professional with the Board.

(Name and Signature)

Authorised Officer of the Insolvency Professional Agency

(Seal of the Insolvency Professional Agency).

Place:

Date: ”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./425/2023-24]

**Note :** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23<sup>rd</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23<sup>rd</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2023 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG103, dated 20<sup>th</sup> July, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 507 on 20<sup>th</sup> July 2023.